UPBJ180028142025

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना बिजनौर।

दाण्डिक वाद सं0 **1688/2025**

सरकार बनाम धर्मेन्द्र सिंह

धारा–115(2),352,351(2) बी.एन.एस.

थाना–नगीना देहात, जिला बिजनौर।

मु0अ0सं0 **45/2025**

आरोप

मैं, **प्रतीक त्रिपाठी** सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना, जिला बिजनौर आप **धर्मेन्द्र सिंह** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ :–

प्रथमः –यह कि दिनांक 05–03–2025 को समय 20:15 बजे वहद स्थान गुरद्वारे के सामने ग्राम लालवाला अन्तर्गत थाना क्षेत्र नगीना देहात जिला बिजनौर में आपने वादी मुकदमा जसवीर सिंह को स्वेच्छया लाठी–डण्डों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा **115(2)** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को लोक शान्ति भंग करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा **352** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा **351(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उक्त अपराध में इस न्यायालय के समक्ष मेरे द्वारा किया जाये।

दिनांकः **21–08–2025**

(प्रतीक त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज,(जू0डि0),
नगीना, बिजनौर।
आई.डी.सं0–UP03205

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इन्कार किया और न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रार्थना की ।

दिनांकः **21–08–2025**

(प्रतीक त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज,(जू0डि0),
नगीना, बिजनौर।
आई.डी.सं0–UP03205

Digitally signed by PRATEEK TRIPATHI
Date: 2025.08.21 15:54:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court